राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन-पत्र संख्या 10791/2014
बनवारी लाल बैरवा बनाम राज. राज्य

30.09.2014

माननीय न्यायाधिपति श्रीमती निशा गुप्ता

श्री एच के शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री प्रकाश ठाकुरिया, अभियोजक वास्ते राज्य।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं सुयोग्य लोक अभियोजक को जमानत आवेदन-पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उसने गबन की सम्पूर्ण राशि जमा करा दी है। अनुसंधान हेतु प्रार्थी की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र आरोप पत्र पेश हो जावेगा। उनका यह भी कथन है कि विचारण में समय लगने की संभावना है, अत: प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया किन्तु यह स्वीकार करते है कि गबन की सम्पूर्ण राशि जमा हो चुकी है। अनुसंधान के लिए प्रार्थी की कोई आवश्यकता नहीं है एवं प्रार्थी के विरूद्व अन्य कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण दोषों के संबंध में किसी प्रकार का कोई मत अभिव्यक्त किये बिना, प्रकरण में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए मैं, प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र करना न्यायोचित समझती हूं।

अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी बनवारी लाल बैरवा विचारण न्यायालय के संतोषानुसार रूपये 50,000/-(अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व रूपये 25,000-25,000/- की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी को पुलिस थाना-करोली पर पंजीबद्व प्राथमिकी संख्या 477/2013 में, यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे इस शर्त के साथ अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें कि यदि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी प्रकार के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो राज. राज्य को उसकी जमानत निरस्त कराने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(न्या0 निशा गुप्ता)

बीएल जैन/192

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.
B.L. Jain, PS